फैक्स

परिपत्र पत्र संख्याः- डीजी-२/2014

रिजवान अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः जनवरी ९ , 2014

विषयः- थानों पर प्राप्त गुमशुदगी की सूचनाएं अपराध संख्या पर पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 12/2013 दिनांक 11.04.2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के गुम हो जाने, घर छोड़कर भाग जाने एवं विभिन्न कारणों से अगवा कर लिये जाने के सम्बन्ध में अपराध पंजीकरण एवं गुमशुदा बच्चों के मुकदमों की विवेचना, समीक्षा करने आदि के विस्तृत निर्देश निर्गत किये जाने विषयक है।

2. उक्त परिपत्र में गुमसुदा बच्चों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर धारा 363, 364 तथा 364ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा अपराध प्रकट होने की स्थिति में भादवि एवं अन्य अधिनियमों की धारा की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विवेचना की जायेगी।

3. दिनांक 07.01.2014 को लखनऊ परिक्षेत्र के जनपदों के पेशी कार्यालय के कार्मिकों को बुलाकर पुलिस महानिरीक्षक अपराध उ0प्र0 द्वारा की गयी गोष्ठी के दौरान कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपदों में अभी भी गुमशूदगी को **निल अपराध संख्या** पर पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान परिवेश में सरकार एवं मा0 न्यायालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में की गयी अपेक्षानुसार गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाना स्तर पर प्राप्त सभी सूचनाएं **अपराध संख्या** पर पंजीकृत कर विवेचना किये जाने की आवश्यकता है।

4. तदनुसार अपेक्षा की जाती है कि गुमशुदा के सम्बन्ध में प्राप्त **सभी सूचनाओं को अपराध संख्या पर पंजीकृत** कर अग्रेतर विवेचना करायी जाय और अपराध एवं विवेचनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली सभी गोष्ठियों एवं अर्दली रूमों में भी गुमशुदगी के अपराधों की भी नियमित रूप से समीक्षा की जाय।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

9/1/14

(रिज़वान अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।